

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : डॉ.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 29/2022

GCMS No. 2022/29

अपीलांट—	बनाम	उत्तरदातागण
1.पूनमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति राव निवासी रामसरिया बायतु भोमजी तहसील बायतु जिला बालोतरा		1. तहसीलदार बायतु 2. फुसाराम पुत्र प्रहलादराम निवासी रामसरिया बायतु भोमजी तहसील बायतु जिला बालोतरा 3. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बायतु

प्रथम राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश क्रमांक राज./16/02 दिनांक 12.05.2016 को न्याय आपके द्वार केम्प 2016 बायतु भोपजी में तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री नरपत पुनड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदातागण व उत्तरदाता सं. 02 के अधिवक्ता अनु.उपस्थित।



निर्णय

दिनांक :- 22.04.2025

अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक राज./16/02 दिनांक 12.05.2016 तहसीलदार बायतु पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 02 के अधिवक्तागण अनुपस्थित। अपील इस प्रकार है कि अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नं. 401 रकबा 73.13 बीघा खसरा नम्बर 476 रकबा 9.18 बीघा खसरा नम्बर 523/401 रकबा 0.01 बीघा खसरा नम्बर 803/401 रकबा 0.02 खसरा नम्बर 524/476 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 83.19 बीघा मौजा रामसरिया पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु जिला बालोतरा उक्त भूमि अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 02 हिस्सेदार खातेदारी में जमीन हैं बंटवाड़ा अनुसार काबिज हैं।

उत्तरदाता संख्या 02 कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत उत्तरदाता सं 01 तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक राज./16/02 दिनांक 12.05.2016 को न्याय आपके द्वार केम्प 2016 बायतु भोपजी में तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजन करने हेतु पारित किया गया। आदेश अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड से अमलदरामद हुआ। उत्तरदातागण संख्या 02 ने कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत। उत्तरदाता सं 01 तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन दिनांक 12.05.2016 को प्रस्तुत किया। तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक राज./16/02 दिनांक 12.05.2016 को न्याय आपके द्वार केम्प 2016 तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजन करने हेतु पारित किया गया। आदेश अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड से अमलदरामद हुआ। तहसीलदार बायतु द्वारा बंटवाड़ा किया गया था। उक्त बंटवाड़ा से उसके कब्ज काश्त के अनुसार घर ,टांको ,कब्जा काश्त को बिना प्रभावित करते सही रंग भरवा कर कागजात उत्तरदाता 02 ने अपनी सुविधानुसार बंटवाड़ा करवा दिया है।


अतः अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब

जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि उत्तरदाता संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी 401 रकबा 73.13 बीघा खसरा नम्बर 476 रकबा 9.18 बीघा खसरा नम्बर 523/401 रकबा 0.01 बीघा खसरा नम्बर 803/401 रकबा 0.02 खसरा नम्बर 524/476 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 83.19 बीघा मौजा रामसरिया पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु जिला बालोतरा तहसील बायतु जिला बालोतरा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंट सं 02 की संयुक्त भूमि अवस्थित है। सहमती बंटवाड़ा के आवेदन पर समस्त पक्षकारान का हस्ताक्षर करते हुए अपीलांटगण तथा रेस्पोंडेंटगण के आपसी सहमती द्वारा ही उक्त खसरा का आलोच्य बंटवाड़ा करवाया गया है। समस्त पक्षकारान बंटवाड़ा के अनुसार ही अपने कब्जे काशत पर मौके पर अवस्थित हैं। उक्त खसरान का विधिवत रूप आपसी सहमति से वर्ष 2016 को बंटवाड़ा हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर, संयुक्त शामलाती कृषि भूमि का कब्जे काशत एवं हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद एवं नक्शे में तरमीम किया गया है। उक्त वादग्रस्त शामलाती भूमि का विभाजन करते समय समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में स्वतंत्र सहमति प्राप्त कर उक्त विभाजन किया गया है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा का आवेदन समस्त पक्षकारान ने स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत किए जाने एवं प्रस्तुत आवेदन पर दर्शाई गई बंटवाड़ा को स्वतंत्र सहमति दिए जाने पर दिनांक 12.05.2016 को विभाजन को राजस्व अभिलेख व नक्शा में तरमीम करने हेतु आदेश किया गया था, किसी भी आराजी का एक बार आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो उसका पुनः बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा पेश की गई अपील झुठा व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारिज योग्य हैं।

अतः हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु के समक्ष सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया है तथा तहसीलदार गिड़ा द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया है। एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन, आधारहीन तथ्यों पर आधारित नहीं होने के साथ साथ मयाद के के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक राज./16/02 दिनांक 12.05.2016 को न्याय आपके द्वार केम्प 2016 तहसीलदार बायतु को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-04-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (डॉ गुंजन सोनी)
 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 बालोतरा
 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 बालोतरा